झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक रिट याचिका संख्या 289 / 2022

क्रांति देवी, पति;-स्वर्गीय रितेश पासवान, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम दुरगड़ा, डाकघर;- दैहर, थाना- चौपारण, जनपद हजारीबाग ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।

2. पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग, कार्यालय:- नवाबगंज हजारीबाग, डाकघर + थाना + जिला हजारीबाग।

3. चौपारण पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक सह अधिकारी, कार्यालय:- चौपारण, डाकघर + थाना चौपारण, जिला हजारीबाग।

4. इंदल भोक्ता, पिता और निवास याचिकाकर्ता के लिए अज्ञात

5. नीरू यादव, पिता और निवास याचिकाकर्ता के लिए अज्ञात ।

6. चोबा सिंह, पिता सोबरन सिंह, निवासी दुरगड़ा, चौपारण, डाकघर + थाना चौपारण, जिला- हजारीबाग

7. उपेन्द्र सिंह, पुत्र गणपत सिंह, निवासी सिसियातारी, बाराचट्टी, गया, डाकघर + थाना + जिला- गया, राज्य बिहार

8. देवलाल यादव, पिता- रौड़ी यादव, निवासी जलाही, मोहनपुर, डाकघर + थाना + जिला- गया, राज्य- बिहार

9. संजय दास, याचिकाकर्ता को ज्ञात नहीं, निवासी खाप, मोहनपुर, डाकघर + थाना + जिला- गया, राज्य- बिहार

10 ज्ञानी सिंह, भोक्ता, पिता- गनुरी सिंह, निवासी हरानाही, बाराचट्टी, डाकघर + थाना गया, जिला- गया, राज्य- बिहार।

11 धनेश्वर सिंह, पिता- सेवा सिंह, निवासी हरानाही, बाराचट्टी, डाकघर + थाना- गया, जिला- गया, राज्य-बिहार।

12. गोवर्धन यादव पिता- राधो यादव निवासी इटखोड़ी, डाकघर + थाना इतखोरी, जिला चतरा...

...उत्तरदाताओ

याचिकाकर्ता के लिए: श्री प्रतीक सेन, अधिवक्ता

राज्य के वकील: श्री मिथिलेश सिंह, जीए-IV

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका (आपराधिक) एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज चौपरण वाद सं. 72/ 2021 की जांच में तेजी लाने का निर्देश देने वाली रिट,शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ-साथ सीएलए अधिनियम की धारा 17 और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, हजारीबाग की अदालत में लंबित है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता उक्त चौपारण वाद सं. 72/2021 का मुखबिर है। 15.02.2021 को दर्ज अपने फर्दबीयन में उसने अन्य बातों के साथ आरोप लगाया है कि दो व्यक्ति उसके पति को जबरन सामान्य क्षेत्र में ले गए और उसके बाद सहदेव बिरहोर के घर के पास गए और याचिकाकर्ता के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। याचिकाकर्ता के पति की गोली मारकर हत्या करने वाले दो व्यक्तियों के साथ लगभग 10-15 लोग थे। प्राथमिकी में विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के पति को इंदल भोक्ता और बीरू यादव ने पकड़ लिया था; चूंकि मुखबिर उन्हें और अन्य नामित आरोपी व्यक्तियों को प्राथमिकी में पहचान सकता था। यह भी आरोप है कि मामले के नामजद आरोपियों ने माओवादियों के साथ मिलीभगत की जिन्होंने उक्त अपराध को अंजाम दिया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 31.03.2021 को, पुलिस ने दो खाली कारतूस जब्त किए, लेकिन जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील **दिलावर बनाम हरियाणा राज्य और** एक अन्य **2018 16 एससीसी 521** में रिपोर्ट किए गए मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि त्वरित परीक्षण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक निहित अधिकार है जो बदले में त्वरित जांच को शामिल करता है, पूछताछ, अपील, पुनरीक्षण और पुनःविचारण। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता संख्या 2 और 3 को उक्त चौपारण वाद सं. 72/2021 की जांच में तेजी लाने और उक्त चौपारण वाद सं. 72/2021 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

5. दूसरी ओर, विद्वान जीए -4 याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की प्रार्थना का जोरदार विरोध करता है और **सुधीर भास्करराव तांबे बनाम हेमंत यशवंत धागे और अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करता है, जो **(2016) 6 एससीसी 277** पैराग्राफ -2 से 4 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से निम्नानुसार है: -

"2. इस न्यायालय ने साकिरी वासु बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य [साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 2 एससीसी 409: (2008) 1 एससीसी (आपराधिकआई) 440: एआईआर 2008 एससी 907], कि यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है कि उसकी प्राथमिकी पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई है, या दर्ज की गई है, उचित जांच नहीं की जा रही है, तो पीड़ित व्यक्ति का उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में नहीं जाना है, लेकिन आपराधिक विविध याचिका की धारा 156 (3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए। यदि आपराधिक विविध याचिका की धारा 156 (3) के तहत ऐसा आवेदन किया जाता है और मजिस्ट्रेट, प्रथम दृष्टया, संतुष्ट है, तो वह प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकता है, या यदि यह पहले ही दर्ज किया जा चुका है, तो वह उचित जांच करने का निर्देश दे सकता है जिसमें उसके विवेक शामिल है, यदि वह आवश्यक समझे, जांच अधिकारी के परिवर्तन की सिफारिश करना, ताकि मामले में उचित जांच हो सके। हमने यह बात साकिरी वासु मामले [साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 2 एससीसी 409 (2008) 1 एससीसी (आपराधिकआई) 440 एआईआर 2008 एससी 907] में कही है क्योंकि हमने इस देश में पाया है कि उच्च न्यायालयों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने या उचित जांच के लिए प्रार्थना करने वाली रिट याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। 3. *हमारा विचार है कि यदि उच्च न्यायालय ऐसी रिट याचिकाओं पर विचार करते हैं, तो उनके पास ऐसी रिट याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी और वे ऐसी रिट याचिकाओं से निपटने के अलावा कोई अन्य काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए, हमने माना है कि शिकायतकर्ता को आपराधिक विविध याचिका की धारा 156 (3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए अपने वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाना चाहिए और यदि वह ऐसा करता है, तो मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि यदि 2022 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 289 4 प्रथम दृष्टया वह संतुष्ट है, प्रथम सूचना रिपोर्ट*

का पंजीकरण और मामले में उचित जांच भी सुनिश्चित करें, और वह जांच की निगरानी भी कर सकता है। 4. साकिरी वासु मामले [साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 2 एससीसी 409: (2008) 1 एससीसी (आपराधिकआई) 440: एआईआर 2008 एससी 907] में तय स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय [हेमंत यशवंत धागे बनाम एसटी मोहिते, 2009 एससीसी ऑनलाइन बॉम 2251] को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसके द्वारा अलग रखा जाता है। संबंधित मजिस्ट्रेट को आपराधिक विविध याचिका की धारा 156 (3) के तहत कथित अपराध की उचित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है और यदि वह आवश्यक समझे तो वह संबंधित एसएसपी/एसपी को जांच अधिकारी के परिवर्तन की सिफारिश भी कर सकता है, ताकि उचित जांच की जा सके। मजिस्ट्रेट जांच की निगरानी भी कर सकता है, हालांकि वह खुद जांच नहीं कर सकता (क्योंकि जांच पुलिस का काम है)। पक्षकार संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी इच्छानुसार कोई भी सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं।

विद्वान मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहेगा और प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के पास मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का एक वैकल्पिक उपाय है, इसलिए, यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के खारिज कर दी जाती है।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि उनके जवाबी हलफनामे में, उत्तरदाता नंबर 1 से 3 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में कई गवाहों की जांच की गई है और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाता संख्या 2 और 3 को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे चौपारण वाद सं. 72/2021 की जांच के शेष भाग को शीघ्रता से संचालित करें और

इस निर्णय की प्राप्ति/उत्पादन की तारीख से तीन महीने के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करें।

7. तदनुसार, इस रिट याचिका का पूर्वोक्त निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
3 जनवरी, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर/ अनिमेष

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।